87

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 369–दो/2008 – विरूद्ध आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2008 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 41/2005–06 अपील

श्रीबाबू पुत्र प्रयाग नारायण
निवासी श्रीकृष्ण की गली
पुरानी वस्ती भिण्ड, भिण्डी
ऋषि मंदिर के सामने भिण्ड ––––आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती मंजू गोस्वामी पत्नि वृजेश
राधावल्लभ मंदिर किला रोड भिण्ड
2– रामलखन पुत्र शिवदयाल भारद्वाज
ग्राम बलारपुरा हाल अटेर रोड भिण्ड
3– संजीवकुमार पुत्र रामस्वरूप, 33 गंज
मोहल्ला भिण्ड मध्य प्रदेश
4– रामरतन शास्त्री पुत्र विजयराम निवासी
हजारीलाल की सराय भिण्ड
5– किशोरीलाल चौधरी निवासी टीकाराम
की गली भिण्ड
6– हरिश्चन्द्र पु.त्र कालिकाप्रसाद बाजपेयी
झांसी मोहल्ला भिण्ड
7– प्रदीप ज्योतिषी निवासी 4 नई आबादी भिण्ड
8– रामशंकर पुत्र देवकीनंदन शर्मा
बसंतपुरा हाल हनुमान बजरिया किला रोड भिंड
9– नरेन्द्रप्रताप पुत्र बलवीर सिंह चौधरी
चतुर्वेदी नगर भिण्ड
10– अजय पुत्र जगदीश नारायण पाठक
खिड़किया मोहल्ला भिण्ड
11– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर भिण्ड ––––अनावेदकगण

कृ0पृ0उ0––––2

(आवेदक के अभिभाषक श्री योगन्द्र सिंह भदौरिया)
(अनावेदक 1 से 10 के अभिभाषक श्री एम0पी0भटनागर)

आ दे श

(आज दिनांक 9 - 3 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 41/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-1-2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मंदिर श्री राधावल्लभ जी स्थित किला रोड बजरिया भिण्ड के रिक्त पुजारी पद की पूर्ति हेतु अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के न्यायालय में प्रकरण कमांक 30/1993-94 बी 121 पॅजीबद्ध हुआ। प्राप्त आवेदनों की जांच एंव सुनवाई करके अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने आदेश दिनांक 12-12-2001 पारित किया तथा आवेदक को पुजारी पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला भिण्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। कलेक्टर जिला भिण्ड ने प्रकरण कमांक 3/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-9-2005 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12-12-01 निरस्त कर दिया तथा अनावेदक कमांक-1 की पुजारी पद पर नियुक्ति प्रदान की। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 41/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 11 जनवरी 2008 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि मंदिर श्री राधावल्लभ जी स्थित किला रोड बजरिया भिण्ड के रिक्त पुजारी पद की पूर्ति हेतु अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के न्यायालय में प्रकरण कमांक 30/1993-94 बी 121 पॅजीबद्ध हुआ है जिसमें पारित आदेश दिनांक 12-12-2001 से आवेदक को

पुजारी पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। इस आदेश के विरूद्व प्रथम अपील कलेक्टर भिण्ड ने एंव द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने सुनी है। विचार का विषय है कि क्या पुजारी नियुक्ति आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल को निगरानी श्रवण करने की शक्तियॉ प्राप्त हैं। म0प्र0शासन, धार्मिक एंव धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल व्दारा जारी विज्ञप्ति कमांक 169-2138/छः/86 दिनांक 10 फरवरी 1987 में पुजारी नियुक्ति के प्रकरणों में अपील/निगरानी के सम्बन्ध में इस प्रकार व्यवस्था दी गई :-

3- आदेशों का पुनरीक्षण (निगरानी/रिवीजन) - कमिश्नर/राज्य शासन स्वप्रेरणा अथवा किसी पक्षकार व्दारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी/ कलेक्टर/ कमिश्नर व्दारा पारित किसी आदेश की बैधता या औचित्य के संबंध में या उसकी कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिये ऐसे पदाधिकारी के समक्ष लम्बित या उसके व्दारा निपटाये गये किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगा, उसका परीक्षण कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा, जैसाकि वह उचित समझे।

स्पष्ट है कि पुजारी नियुक्ति के मामलों में आयुक्त/ अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश के विरूद्व निगरानी राज्य शासन के समक्ष होगी। पुजारी नियुक्ति के मामलों में राजस्व मण्डल को निगरानी सुनने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सुनवाई योग्य न होने से गुणदोष पर विचार किये बिना निरस्त की जाती है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ सक्षम न्यायालय में निगरानी करने हेतु स्वतंत्र है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर